

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सिवनी, मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था./२०१८/६०१७/

सिवनी, दिनांक...०३/१०/२०१८

-----आदेश-----

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.वी.) भोपाल म.प्र. द्वारा अप्रैल २०१७ में आयोजित ऑनलाइन चयन परीक्षा (ए.एन.एम.सिलेक्शन टेस्ट) में उत्तीर्ण निम्नांकित उम्मीदवारों को महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के रिक्त पद पर सातवें वेतनमान के लेवल-५ में रुपये २२,१००/- न्यूनतम मूल वेतन एवं शासन द्वारा तत्समय देय महंगाई भत्ते पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, उनके सामने दर्शाये गये उप स्वास्थ्य केन्द्र में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	पी.ई.वी. चयन परीक्षा का रोल नं०	नाम	संवर्ग	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विकासखण्ड का नाम
१	२२४०७०६८	सीमा पटेल	अ.पि.व./अना.	घोटखेडा	घंसौर
२	२२४१२२२१	रजनीकान्ता चक्रवती	अ.जा./अना.	अंजनिया	छपारा
३	२२४०२२१७	लेकेश्वरी रहंगडाले	अ.पि.व./अना.	झितरी	केवलारी
४	२२४१६९२१	रेखा विसेन	अ.पि.व./अना.	नयेगांव	बरघाट
५	२२४०४६५९	प्रीति रामटेके	अ.जा./अना.	वाम्हनवाडा	लखनादौन
६	२२४०७५८४	शीला श्रीवास्तव	अना.	परासिया	लखनादौन
७	२२४१८८५२	सरिता टेभरे	अ.पि.व.	सनाईडोंगरी	लखनादौन
८	२२४१७३६३	रितु गोयल	अ.पि.व.	रामनगरी	लखनादौन
९	२२४०८०८२	गायत्री	अ.ज.जा.	बरोदामाल	घंसौर
१०	२२४०९९६८	माधुरी	अ.पि.व.	बंजारी	लखनादौन
११	२२४०७६१६	मंजू	अ.पि.व.	बिनेकीकला	घंसौर
१२	२२४१९८९७	शांति उईके	अ.ज.जा.	हरदुली	घंसौर
१३	२२४०८०९१	चैनवती मरावी	अ.ज.जा.	तुआंघोघरा	घंसौर


नियुक्ति की शर्तें:-

- नियुक्ति नितान्त अस्थायी है। उक्त नियुक्ति किसी भी समय उभय पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- चयनित उम्मीदवार को नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, हाई स्कूल / हायर सेकेन्डरी परीक्षा की अंकसूची, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, ए.एन.एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र, राज्य नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र, संविदा सेवा अनुभव प्रमाण-पत्र, अप्रैल २०१७ में पी.ई.वी. द्वारा आयोजित परीक्षा की अंक सूची, आधार पहचान पत्र की छायाप्रतियाँ मूलप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

कृ.पू.उ.....

Pl. Upload
/2/10/2018
उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


३. नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।
४. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अफिल होने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।
५. स्थान परिवर्तन बिना संचालनालय की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
६. चयनित उम्मीदवार द्वारा अपने संबंध में कोई गलत/भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने, शैक्षणिक योग्यता या अन्य प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार सेवाएँ समाप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
७. चयनित उम्मीदवार को आदेश जारी होने के १५ दिवस की समयावधि में नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
८. चयनित उम्मीदवार को नियमानुसार नियुक्तिकला अधिकारी को जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
९. इस नियुक्ति पर अंशदायी पेंशन योजना २००५ लागू होगी।
१०. चयनित उम्मीदवार शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा।
११. प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।



मुख्य चिकित्सा-एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला- सिवनी, मध्यप्रदेश
सिवनी, दिनांक-०३.१०.२०१८

पृ०क्रमांक/स्था./२०१८...६०१९-२६

प्रतिलिपि:-

१. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
२. सचिव, म०प्र० शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
३. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
४. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, भोपाल।
५. अपर संचालक, (परिवार कल्याण), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल।
६. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर, म.प्र.।
७. कलेक्टर, जिला- सिवनी, म.प्र.।
८. संबंधित उम्मीदवार की ओर पालनार्थ।


१२/१०/२०१८
उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


मुख्य चिकित्सा-एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला- सिवनी, मध्यप्रदेश